2016 का विधेयक संख्यांक 171

[दि हाई कोर्ट (आलट्रेशन आफ नेम) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2016 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित सरकार" से संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 1- संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित विधि के संबंध में केंद्रीय सरकार और किसी अन्य विधि के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "विधि" के अंतर्गत कोई भी अधिनियमिति, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की अपनी-अपनी अधिकारिताओं के अधीन विधि का बल रखने वाली अन्य लिखत हैं ;

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन ।

3. नियत दिन से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों को क्रमशः मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा ।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।

4. (1) धारा 3 के अधीन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नाम के परिवर्तन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान से पहले निरसन या संशोधन के रूप में, आदेश द्वारा नियत दिन से पहले बनायी गई किसी विधि का ऐसा अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी, जो आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरि ऐसी प्रत्येक विधि का प्रभाव इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपातंरणों के अध्यधीन होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को उक्त उपधारा के अधीन समुचित सरकार द्वारा अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति ।

5. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन से पहले बनायी गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 4 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, सार को प्रभावित किए बिना विधि का ऐसी रीति में अर्थान्वयन कर सकेगी, जो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो ।

विधिक कार्यवाहियां ।

6. जहां नियत दिन से ठीक पहले ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं, जिनमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय पक्षकार हैं, वहां उन कार्यवाहियों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय के स्थान पर क्रमशः मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय रखा गया समझा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के निबंधनानुसार क्वीन द्वारा जारी किए गए लेटर्स पेटेंट के अनुसरण में की गई थी । मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना लेटर्स पेटेंट द्वारा 26 जून, 1862 को की गई थी, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना लेटर्स पेटेंट द्वारा 28 दिसंबर, 1865 को की गई थी । भारत के संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् ये उच्च न्यायालय विद्यमान रहे और संविधान के अनुच्छेद 225 के निबंधनानुसार अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते रहे ।

2. उच्च न्यायालयों के नाम उन नगरों के नाम पर रखे गए थे, जिनमें वे स्थित थे । इन नगरों के नामों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन करके क्रमशः मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय करने की मांग की जाती रही है । वर्तमान में ऐसी कोई केंद्रीय विधि नहीं है, जिसके अधीन इन उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन का प्रस्ताव लाया जा सके । प्रस्तावित विधान इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए है । यह उचित और तर्कसम्मत है कि इन उच्च न्यायालयों के नामों में भी राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार परिवर्तन किया जाए ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन करके क्रमश मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय करने का विनिश्चय किया गया है ।

4. उच्च न्यायालय (नामों में परिवर्तन) विधेयक, 2016 से नगरों के नामों और उच्च न्यायालयों के नामों में एकरूपता आएगी । इससे संबंधित राज्यों की जनता की आकांक्षा की पूर्ति भी होगी ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 जुलाई, 2016

रवि शंकर प्रसाद

GMGIPMRND—1540LS(CRC)—15-7-2016.